

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-394 / 12

संस्थित दिनांक- 27.09.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध
सोनू पुत्र हरीसिंह रघुवंशी
उम्र 27 साल,
निवासी ग्राम डोंगरा
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 12.08.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 327, 341, 506 भाग—दो आरोप है कि उसने दिनांक 11.09.2012 को समय रात्रि 09:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी पुराना बस स्टेण्ड चंदेरी स्थित अशोका होटल के सामने लोक स्थल पर फरियादी जयराम को अश्लील शब्द मादर चोद की गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी जयराम से शराब पीने के लिये 200/- रुपये उद्धापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जयराम धोबी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने दिनांक 11.09.2012 को फरियादी जयराम खाना लगवाकर करीब 09:30 बजे अशोक होटल के सामने खडी बस में आया तो बस में सोनू रघुवंशी जो ग्राम डोंगरा का रहने वाला है, जो एच0एम0टी0 बस में चलता हैं बैठा मिला। जयराम ने बोला दारु पीने के लिये दो सौ रुपये दो, इस जयराम बोला उसके पास पैसों नहीं हैं तो सोनू बोलता है कि कडेक्टर से पैसे लेकर आ नहीं तो बस नहीं चल पायेगी और जयराम को मादर चोद व बहन की गालिया देने लगा, जयराम ने गालिया देने मना किया तो सोनू ने जयराम को जोर से लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर गया, और लातघूँसों से मारपीट करने लगा, जयराम भागने लगा तो रास्ता रोक लिया, आगे जाने नहीं दिया और कहने लगा कि पैसे नहीं दिये तो जान से खत्म कर दूंगा।

- 03—अभियोजन के अनुसार उक्त घटना बल्लू उस्ताद कल्ला कंडेक्टर, चुगरू और दीनानाथ ने देखी। फरियादी जयराम द्वारा उक्त दिनांक को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 294/12 अंतर्गत धारा— 341, 294, 323, 506, 327 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.08.2017 को फरियादी जयराम द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध का शमन करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भादवि की धारा 294, 323, 341, 506 भाग—दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 327 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 05—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 06—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.09.2012 को समय रात्रि 09:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी पुराना बस स्टेण्ड चंदेरी स्थित अशोका होटल के सामने फरियादी जयराम से शराब पीने के लिये 200/— रुपये उद्धापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 07— फरियादी जयराम धोबी (अ0सा0—1) का अपने कथनों में कहना है कि 5 साल पहले रात्रि 8—9 बजे की घटना हैं। इस साक्षी का कहना है कि अभियुक्त बस में डायवरी करता है कि तथा वह स्वयं की बस पर चलता है। फरियादी के अनुसार घटना के समय वह मुंगावली चंदेरी रोड पर पशु अस्पताल के पास बस साफ कर रहा था तो अभियुक्त भी वहीं खड़ा था। फरियादी का कहना है कि उसने अभियुक्त से अपने उधारी के पैसों मांगे थे तो अभियुक्त ने उसके साथ मुंहवाद कर उसे मां बहन की अश्लील गालिया दी थी और अभियुक्त उधारी के पैसों नहीं दे रहा था इसलिए उसने पुलिस थाना चंदेरी में जाकर प्रदर्श—पी 1 रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 08— फरियादी जयराम धोबी के न्यायालय में दिये गये कथनों के अनुसार अभियुक्त से उसका विवाद उसके स्वयं के उधारी के पैसों मांगने पर से हुआ था, जिसमें अभियुक्त ने उसके साथ मुंहवाद कर गाली—गलौच की थीं। जबकि प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 के अनुसार अभियुक्त के द्वारा फरियादी से शराब के लिये 200 की मांग किये जाने पर एवं रुपये न दिये जाने पर फरियादी के साथ मारपीट कर उपहति कारित की गयी थी। अतः फरियादी जयराम धोबी (अ0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके द्वारा लेखबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 से मेल नहीं खाती हैं जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रदर्श—पी 1 से नहीं होती हैं।
- 09— फरियादी जयराम धोबी (अ0सा0—1) के न्यायालीन कथनों में घटना घटित होने का कारण एवं प्रदर्श—पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेखबद्ध करायी गयी घटना में अंतर हैं तथा दोनों ही घटनाएं एक दूसरे की विपरीत हैं जिससे फरियादी जयराम धोबी (अ0सा0—1) के न्यायालीन कथनों एवं प्रदर्श—पी 1 में उल्लेखित घटना में स्पष्ट रूप से गंभीर विरोधाभाष देखा जा सकता है जो कि तात्त्विक स्वरूप का हैं। फरियादी का अपने न्यायालीन कथनों में कही भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने उससे शराब पीने के लिये 200/— रुपये की मांग की थी व रुपये न देने पर उसके साथ मारपीट की थीं। फरियादी जयराम स्वयं की उधारी के पैसों की मांग को लेकर अभियुक्त से विवाद होना बताता है तथा इस साक्षी के अनुसार उपरोक्त विवाद में भी केवल

मुंहवाद हुआ था।

- 10— जयराम धोबी (अ0सा0—1) के द्वारा फरियादी होते हुये भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी का उसका विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया, जिसमें इस साक्षी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया कि अभियुक्त ने उससे शराब के लिये 200/— रुपये की मांग की थी तथा रुपये न देने पर उसके साथ मारपीट कर उपहति की थी फरियादी का स्वयं ही कहना है कि उसने न तो पुलिस को ऐसी रिपोर्ट करायी और न ही पुलिस को ऐसे कोई कथन लेखबद्ध कराये।
- 11— परिणामस्वरूप फरियादी जयराम धोबी (अ0सा0—1) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से एवं घटना में स्वयं की उधारी के पैसों को लेकर मात्र अभियुक्त से मुंहवाद होने की घटना बताने के कारण साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 11.09.2012 को समय रात्रि 09:30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी पुराना बस स्टेण्ड चंदेरी स्थित अशोका होटल के सामने फरियादी जयराम से शराब पीने के लिये 200/— रुपये उद्धापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित।
- 12— फलतः अभियुक्त सोनू पुत्र हरीसिंह रघुवंशी के विरुद्ध को कारित हुयी उपहति के संबंध में भादवि की धारा 327 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 327 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13— अभियुक्त सोनू पुत्र हरीसिंह रघुवंशी की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।
- निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)